

समाहरणालय, मधेपुरा

(शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

श्री राजेश कुमार सिंह, पे0-स्व0 अरुण कुमार सिंह, सा0+पो0-आलमनगर, थाना-आलमनगर, जिला-मधेपुरा ने अपने नाम से निर्गत एन0पी0बोर रायफल अनुज्ञप्ति सं0-04/2013 (आलमनगर थाना) का सीमा क्षेत्र सम्पूर्ण बिहार राज्य विस्तार करने हेतु आवेदन दिया है। इन्होंने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि व्यवसाय एवं अन्य विविध कार्यों के सिलसिले में बराबर मधेपुरा जिला से अन्य जिलों में जाना-आना लगा रहता है, जिस कारण जान-माल पर खतरा बना रहता है। निर्गत रायफल अनुज्ञप्ति सं0-04/2013 का सीमा क्षेत्र मधेपुरा जिला तक ही सीमित है। फलस्वरूप सुरक्षा शस्त्र ले जाने में कठिनाई महसूस की जा रही है। इनके द्वारा उक्त अनुज्ञप्ति का सीमा क्षेत्र विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य करने हेतु अनुरोध किया गया है।

श्री राजेश कुमार सिंह से प्राप्त आवेदन पत्र के साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। जाँचोपरान्त पाया गया कि इनका आवेदन पत्र गृह सचिव, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-1771, दिनांक-15.02.2006 की कंडिका-“ख” में निहित शर्तों एवं आयुध नियम, 2016 के नियम-19 के अनुरूप है तथा आवेदक को जान का खतरा है। इसलिए इनके शस्त्र अनुज्ञप्ति का सीमा विस्तार किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः संबंधित संचिका सं0-16-34/12 के टिप्पणी पृष्ठ-16/टि0 पर जिला दण्डाधिकारी महोदय, मधेपुरा द्वारा दिये गये आदेश के आलोक में श्री राजेश कुमार सिंह, पे0-स्व0 अरुण कुमार सिंह, सा0+पो0-आलमनगर, थाना-आलमनगर, जिला-मधेपुरा के नाम से निर्गत एन0पी0बोर रायफल अनुज्ञप्ति सं0-04/2013 (आलमनगर थाना) का सीमा क्षेत्र मधेपुरा जिला के स्थान पर सम्पूर्ण बिहार राज्य आदेश निर्गत की तिथि से विस्तारित किया जाता है। जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे संबंधित अनुज्ञप्तिधारी से मूल अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर विधिवत इन्द्राज करवा कर हस्ताक्षर कर देंगे।

श्री राजेश कुमार सिंह, पे0-स्व0 अरुण कुमार सिंह, सा0+पो0-आलमनगर, थाना-आलमनगर, जिला-मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे चलान के माध्यम से विहित शुल्क जमा कर चलान की एक प्रति एवं अपना मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में जमा करना सुनिश्चित करेंगे ताकि आवश्यक प्रविष्टि किया जा सके।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाए।

जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक.....¹⁸³...../शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक-.....¹²...../09/2020

प्रतिलिपि : श्री राजेश कुमार सिंह, पे0-स्व0 अरुण कुमार सिंह, सा0+पो0-आलमनगर, थाना-आलमनगर, जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा /अनुमण्डल दण्डाधिकारी, उदाकिशुनगंज /अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज/थानाध्यक्ष, आलमनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।